(नियम 26)
अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

छीतर बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः— प्रार्थना पत्र | नम्बरः 2022 / 164

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 03.07.1999 द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक 25.10.1997 को माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन निर्णय तक अबेन्स में रखा गया था तथा प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 03.03.2003 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा लगभग 19 वर्ष पश्चात् हस्तगत प्रार्थना पत्र असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जो असाधारण मियाद बाहर होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर	